झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–114 वर्ष 2020

अर्चना सिंह .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री आशीष वर्मा, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– सुश्री नेहाला शर्मिन, ए0पी0पी0।

04 / दिनांकः 29.06.2020

आई0ए0 संख्या 1908 / 2020

1. यह अंतवर्ती आवेदन वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल करने में 30 दिनों की देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दायर किया गया है।

2. विद्वान ए0पी0पी0 ने कोई गंभीर आपत्ति नहीं जताई है।

3. सुना। पैरा 5 से 9 में दिए गए कारणों के मद्देनजर, पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तद्नुसार देरी को माफ किया जाता है और आई0ए0 संख्या 1908 / 2020 को अनुज्ञात किया जाता है।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0 114/2020

1. वर्तमान पुनरीक्षण, जी0आर0 वाद सं0 124/2014 के संबंध में विविध आपराधिक आवेदन सं0 519/2019 में विद्वान ए0सी0जे0एम0, चाईबासा की अदालत द्वारा पारित दिनांक 01.10.2019 के आदेश के खिलाफ दाखिल किया गया है जिसके द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 311 सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए0पी0पी0 को सुनने और आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने दं0प्र0सं0 की धारा 311 के तहत अ0सा0–6 को पुनः बुलाने और प्रति–परीक्षण के लिए याचिका को खारिज कर दिया है, इस सम्प्रेक्षण के साथ कि यदि अ0सा0–6 की प्रति–परीक्षण की अनुमति दी जाती है, तो इस बात की संभावना है कि अ0सा0–6 की गवाही ध्वस्त हो जाएगी।

वास्तव में, निचली अदालत ने स्थापित विधिक स्थिति की विवेचना किए बिना आवेदन को खारिज कर दिया है जो दं0प्र0सं0 की धारा 311 यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत पर एक दायित्व और कर्त्तव्य निर्धारित करता है कि सबसे अच्छा साक्ष्य पेश हो जिससे कि अदालत मामले में निर्णय लेने के लिए सच्चाई का पता लगाने और निश्चित करने में सक्षम हो। दंड प्रकिया संहिता की धारा 311 न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति या साक्ष्य को जिसे न्यायालय मामले के न्यायपूर्ण विनिश्चय के लिए आवश्यक समझता है, वापस बुलाने, पुनः परीक्षण करने या उसके परीक्षण करने का अधिकार देती है।

यह आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि अ0सा0–6 को पुनः बुलाने को निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया है जो कि दं0प्र0सं0 की धारा 311 के प्रावधानों में सन्निहित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

3. उपरोक्त कारणों से याचिकाकर्त्ता दं0प्र0सं0 की धारा 311 के तहत एक नई याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है, जो सीमित बिंदुओं को तैयार करता है जिसके लिए याचिकाकर्त्ता अ0सा0–6 की प्रति–परीक्षण करना चाहता है। निचली अदालत, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करेगी और यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो अ0सा0–6 की प्रति–परीक्षण तैयार प्रश्नों तक सीमित रहेगी। अ0सा0–6 का पुनः बुलाना इस शर्त के अधीन होगा कि याचिकाकर्त्ता अ0सा0–6 को भुगतान किए जाने के लिए 2,000/– रू0 की लागत जमा करेगा।

4. पूर्वोक्त निर्देश के साथ पुनरीक्षण को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)